श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीपी० पी०ए० संगमा) . (क) से (ग) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार, सुपर बाजार, दिल्ली में कर्मकारों की संख्या 2236 थी । कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और अधिनियम के अन्तर्गत योजनायें 1–7–67 से सुपर बाजार, दिल्ली पर लागू की गई थी । अधिकारियों को छोड़ कर जो सामान्य भविष्य निधि के अन्तर्गत आते हैं) । सभी कर्मकारों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होता है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रेणी वार, कर्मचारियों की सूची नहीं रखता है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

खान और खेतिहर मजदूरों के लिए मजदूरी

836. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में खान और खेतिहर मजदूरों की पृथक-पृथक जिले-वार संख्या कितनी है;

(ख) दोनों श्रेणी के मजदूरों के लिये पृथक-पृथक कितनी मजदूरी निर्धारित की गयी है ;

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ;

(घ) किस तारीख को इनकी मजदूरी में संशोधन किया गया था ;

(ङ) क्या इनकी मजदूरी में पुनः संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० संगमा) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार गुजरात राज्य में 32 लाख कृषि श्रमिक तथा 59,000 खान श्रमिक एवं महाराष्ट्र राज्य में 83 लाख कृषि श्रमिक तथा 115,000 खान श्रमिक हैं ।

(ख) से (च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार अपने-अपने क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं संशोधन के लिये समुचित सरकार हैं । कृषि क्षेत्र के अनुसूचित नियोजन मुख्यतः राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं जबकि खानों में अनुसूचित नियोजन मुख्यतः केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं । न्यूनतम मजदूरी पाने वाले कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी गुजरात राज्य के कृषि श्रमिकों के लिये 15/– रु० प्रतिदिन तथा महाराष्ट्र राज्य के लिये 20/– रु० से 29/– रु० प्रतिदिन के बीच निर्धारित की गई है । पिछली बार गुजरात राज्य में 1–8–90 को तथा महाराष्ट्र राज्य में 29–6–1994 को मजदूरियों में संशोधन किये गये थे । खान क्षेत्र में भूमि के ऊपर तथा भूमि के अन्दर काम कर रहे न्यूनतम मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रमिकों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 28.00 रु०तथा 34.00 रु० है । इन मजदूरी दरों को केन्द्र सरकार ने पिछली बार दिनांक 12–7–1994 को संशोधित किया था । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विहित न्यूनतम मजदूरियों को निर्धारित करने का कोई एक समान मानदंड नहीं है । तथापि, कैलोरी, वस्त्र, मकान किराया एवं ईंधन, बिजली आदि पर किये जाने वाले व्यय के बारे में भारतीय श्रम सम्मेलन (1957) द्वारा विहित मानकों को ध्यान में रखा जाता है ।

श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

837. **श्री आस मोहम्मद :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए कोई कल्याण योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने श्रमिकों के लिये समूह बीमा योजना शुरू की है तथा क्या सभी श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत शामिल हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) चिकित्सा, आवास तथा कतिपय अन्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, अभ्रक, चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट, लौह-अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खानों, बीड़ी और सिनेमा कर्मकारों के लिए कल्याण निधियां स्थापित की गई हैं । कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर भविष्य निधि की सुविधा के अतिरिक्त, परिवार पेंशन योजना और कर्मचारी बीमा जमा संबद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत परिवार पेंशन और जमा संबद्ध बीमा के भुगतान के लिए उपबंध भी बनाए गए हैं ।

सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना तैयार की है जिसमें देश के औद्योगिक कर्मकारों के लिए चिकित्सा देख-रेख और कतिपय नकद लाभों के भुगतान का प्रावधान है । यह योजना बिजली का प्रयोग करने वाले तथा 10 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों तथा बिजली का प्रयोग न करने वाले 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले और प्रतिमाह 3000/- रु० तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मकारों वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों पर लागू है । जो औद्योगिक कर्मकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं उन्हें रोजगार चोट लाभों हेतु कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत पात्र बनाया गया है । सरकार ने केवल बीड़ी कर्मकारों के लिये एक सामूहिक बीमा योजना भी शुरू की है ।

Closure of Modi Spinning and weaving Mills, Modinagar

838. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the closure of the Modi Spinning and Weaving Mills Modinagari UP and the sufferings of nearly two thousand workers because of it; and

(b) what steps have been taken or are likely to be taken to get the mill opened to employ the workers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) The Labour Commissioner, Uttar Pradesh has reported that the management of Modi Spinning and Weaving Mills, Modinagar closed down its establishment with effect from 8-4-1994. The said closure has been declared illegal under section 25(R) of the Industrial Disputes Act, 1947 and prosecution case has been filed on 8-4-1994 itself against the management before the Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad which is still pending for order. Modi Spinning and Weaving Mills Company was earlier registered with the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) on 26-9-89. As noviable revival scheme could be formulated BIFER recommended winding up the company on 21-12-1993.

Nation-wide strike proposed by INTUC

839. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Indian National Trade Union Congress had proposed one day nation-wide strike on 14th July, 1994;